RCMS- 2020/00104

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:- 30 /2020 तारीखरजू:- 14/7/2020

उनवानः– मोहनलाल बनाम अनिल कुमार

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
14-7-2020	प्रार्थी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 24.07.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2552-2553 14/7/2020
24.7.20	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओरसे श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा के साथ - जबाव मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जबाव व काउन्टर क्लेम की प्रति प्रार्थी वकील को दिलवाई गई। अप्रार्थी वकील ने कथन किया कि विवादित आराजीयात मे सायल, गैरसायलान के कब्जेकाश्त मे मजामहत मदाखलत नही करे तथा उभयपक्ष कारान को दावा के निस्तारण तक पाबन्द कर दिया जावे। प्रार्थी वकील ने भी कथन किया कि गैर [illegible] को पाबन्द किया जावे कि सायल के कब्जे [illegible] की आराजी मे मजामहत मदाखलत [illegible] उभय पक्ष की [illegible] मनन करते हुए पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलो॰ किया। जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 ग्राम - नांगल शेरपुर के खाता संख्या 318, 319, 455, ग्राम पहाडी के खाता संख्या 504, ग्राम बालघाट	

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 10:56:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

फर्द अहकाम

दिनाक	
	के खाता संख्या 358, ग्राम खिलचीपुर मीना के खाता संख्या 75 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी एवं अप्रार्थी हिस्सानुसार सह खातेदार हैं, वकील उभयपक्ष भी मूल दावा के निस्तारण तक एक दूसरे की आराजी हिस्से में मजाहमत मदाखलत नहीं करने वाले पाबन्द किये जाने के लिए सहमत है। अत: उभयपक्ष कारान को मूल दावा के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नांगल शेरपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.26 है., 106 रकबा 0.26 है०, 135 रकबा 0.26 है., 136 रकबा 0.36 है., 2604 रकबा 0.14 है., 379 रकबा 0.11 है., 424 रकबा 0.07 है., 425 रकबा 0.08 है., 495 रकबा 0.30 है., 518 रकबा 0.06 है., 504 रकबा 0.35 है०, 1276 रकबा 0.56 है०, ग्राम पहाडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 0.18 है., 356 रकबा 0.20 है., 499 रकबा 0.13 है., 500 रकबा 0.03 है., 501 रकबा 0.10 है., 520/5199 रकबा 0.13 है., 528 रकबा 0.26 है०, 530 रकबा - 0.21 है., 531 रकबा 0.11 है०, 532 रकबा 0.06 है., [illegible] 0.16 है०, 536 रकबा 0.04 है., 537 रकबा [illegible] है०, 538 रकबा 0.20 है०, 541 रकबा [illegible], 542 रकबा 0.32 है., 544 रकबा 0.08 है., ग्राम [illegible]पार स्थित भूमि खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.30 है०, 1322 रकबा 0.25 है., 1323 रकबा 0.31 है., 1324 रकबा 0.30 है०, 810 रकबा 0.44 है०, 812 रकबा 0.46 है०, ग्राम खिलचीपुर मीना स्थित भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 10:56:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
	खसरा नम्बर 87 रकबा 0.38 है., 89 रकबा 0.11 है., 90 रकबा 0.16 है., 91 रकबा 0.30 है., 93 रकबा 0.54 है., 94 रकबा 0.42 है. में एक दूसरे के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे। निर्णय आज दिनांक 24.7.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। 24/7/2020 (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 10:56:05 IST
Reason: SelfAttested